

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 159]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 27, 2017/वेशाख 7, 1939	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 30
No. 159]	DELHI, THURSDAY, APRIL 27, 2017/VAISAKHA 7, 1939	[N.C.T.D. No. 30

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

HEALTH AND FAMILY WELFARE
DEPARTMENT
NOTIFICATION

अधिसूचना

Delhi, the 26th April, 2017

दिल्ली, 26 अप्रैल, 2017

सं. फा. 50(18)/2000/औ.नि./स्था./पार्ट
फाइल/16-24.— औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली,
1945 के नियम 2 के खंड (i) के साथ पठित औषधि एवं
प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा
21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय
राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा उक्त
अधिनियम के प्रयोजनार्थ संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
के लिये निर्धारित योग्यताएं रखने वाले औषधि नियंत्रण
विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को अधिसूचना की तिथि
से औषधि निरीक्षक के रूप में नियुक्त करते हैं:—

No. F. 50(18)/2000/DC/Estt/Part File/16-
24.—In exercise of the power conferred by section 21
of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) read
with clause (i) of rule 2 of the Drugs and Cosmetics
Rules, 1945, the Lt. Governor of the National Capital
Territory of Delhi is pleased to appoint the following
officers of the Drugs Control Department as Drugs
Inspectors having the prescribed qualifications for the
whole of the National Capital Territory of Delhi for the
purpose of said Act, with effect from the date of
notification, namely:—

1. श्री संदीप कुमार शर्मा
2. श्री विशाल सचान
3. श्रीमती यामिनी कोहली
4. श्री अमरकुमार महावीर मोकाशी
5. श्री स्वप्निल गंजीधर पाटील
6. श्री मोरे पार्थ किशनलाल

1. Sh. Sandeep Kumar Sharma
2. Sh. Vishal Sachan
3. Smt. Yamini Kohli
4. Sh. Amarkumar Mahavir Mokashi
5. Sh. Swapnil Ganjidhar Patil
6. Sh. More Parth Kishanlal

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
अशोक कुमार वर्मा, उप-सचिव

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
ASHOK KUMAR VERMA, Dy. Secy.